संख्या. पीएचएन/122/2/02

भारत के राजदूत
फ्नोम पेन्ह
ई-मेल: embindia@bigpond.com.kh
30 अप्रैल, 2002

प्रिय संयुक्त सचिव,

संलग्न फोल्डर में हमारे प्रधान मंत्री जी की यात्रा के दौरान दिनांक 9 अप्रैल, 2002 को कंबोडिया और भारत के बीच हस्ताक्षरित 'विमान सेवा करार' की मूल प्रति संलग्न है।

2. इस संबंध में विदेश मंत्रालय के पत्र (संख्या 2055/एएस(एस)/02 दिनांक 18 अप्रैल 2002), जो आपको संबोधित तथा हमें पृष्ठांकित किया गया है, की एक प्रति संलग्न है।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

(पी.के. कपूर)

श्री सनत कौल
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि: 1. श्रीमती सूर्यकांति त्रिपाठी, अपर सचिव (दक्षिण), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

सूर्यकांति त्रिपाठी
अपर सचिव (दक्षिण)

संख्या. 2055/एएस(एस)/02

18 अप्रैल 2002

प्रिय श्री कौल,

कृपया विमान सेवाओं के संबंध में कंबोडिया के साथ करार से संबंधित पत्राचार का संदर्भ लें। प्रधान मंत्री जी के कंबोडिया की यात्रा के दौरान दिनांक 9 अप्रैल 2002 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

2. जैसा कि आपको विदित हैं, करार अंतिम क्षण में तैयार किया गया था और प्रधान मंत्री जी के अनुमोदन से हस्ताक्षरित किया गया था। प्रधान मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व विदेश मंत्रालय के विधि एवं संधि प्रभाग ने प्रारूप का सत्यापन किया था।

3. अतः मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस करार के संबंध में शेष औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

4. इस करार की एक प्रति इसके साथ संलग्न है। करार के हिंदी और खमेर संस्करण तैयार किए जा रहे हैं और यथासमय आपको भेज दिए जाएंगे। मूल करार फोल्डर राजनयिक बैग के माध्यम से फ्नोम पेन्ह स्थित हमारे मिशन द्वारा आपको भेजा जा रहा है।

सादर।

भवदीय,

(सूर्यकांति त्रिपाठी)

श्री सनत कौल,
संयुक्त सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

प्रतिलिपि श्री पी.के. कपूर, भारत के राजदूत, फ्नोम पेन्ह।

(सूर्यकांति त्रिपाठी)

भारत गणराज्य की सरकार
और
कंबोडिया के शाही सरकार
के बीच
विमान सेवा करार

भारत गणराज्य की सरकार और कंबोडिया के शाही सरकार, जिन्हें इसमें इसके पश्चात "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है;

दिनक 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के पक्षकार होने के नाते;

नागर विमानन के क्षेत्र में अपने पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए तथा अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच हवाई सेवाएं स्थापित करने के प्रयोजन के लिए एक करार संपन्न करने की इच्छा रखते हुए;

निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न करे:

क) "वैमानिकी प्राधिकारी" पद का तात्पर्य, भारत के मामले में, महानिदेशक, नागर विमानन से है, और कंबोडिया साम्राज्य के मामले में, नागर विमानन राज्य सचिवालय - मंत्रि परिषद कार्यालय से है, अथवा दोनों मामलों में, किसी भी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जो उक्त प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले कृत्यों का अनुपालन करने हेतु प्राधिकृत हो;

ख) "अभिसमय" पद का तात्पर्य दिनांक 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय से है, तथा इसमें उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन अंगीकृत कोई भी अनुलग्नक और अभिसमय के अनुच्छेद 94 या 90 के अधीन अभिसमय या उसके अनुलग्नकों का कोई भी संशोधन शामिल है, बशर्ते ऐसे अनुलग्नक और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के लिए प्रभावी हो गए हों;

ग) "नामित एयरलाइन" पद का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जिसे इस करार के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो;

घ) किसी राज्य के संबंध में "राज्यक्षेत्र" पद का वही अर्थ है जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में इसे सौंपा गया है;

ङ) "हवाई सेवा", "अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा", "एयरलाइन" तथा "गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु स्टॉप" पदों के वही अर्थ हैं जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में क्रमशः इन्हें सौंपे गए हैं;

च) "यह करार" पद में इसके साथ संलग्न अनुलग्नक तथा इसमें या इस करार में किया गया संशोधन शामिल है; और

छ) "उपयोगकर्ता प्रभार" पद का तात्पर्य विमानपत्तन संपत्ति या सुविधाओं अथवा हवाई दिक्चालन सुविधाओं के प्रावधान के लिए, विमान, उनके चालक दल, यात्रियों और माल सहित संबंधित सेवाओं और सुविधाओं के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एयरलाइनों पर लगाए गए या उनके द्वारा लगाए जाने की अनुमति दिए गए प्रभार से है।

अनुच्छेद 2
अधिकारों का प्रदान किया जाना

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार में विनिर्दिष्ट अधिकार, इस करार के साथ संलग्न अनुसूची के समुचित खंड में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं स्थापित

करने के प्रयोजन के लिए प्रदान करता है। ऐसी सेवाओं और मार्गों को इसके पश्चात क्रमशः “सहमत सेवाएं” तथा “विनिर्दिष्ट मार्ग” कहा जाएगा।

2. इस करार के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनें) निम्नलिखित अधिकारों का उपभोग करेगी:

क) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के ऊपर से बिना लैंड किए उड़ान भरने का;

ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ठहराव करने का; और

ग) सहमत सेवा को विनिर्दिष्ट मार्ग पर संचालित करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनें) इस करार की अनुसूची में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट बिंदु(ओं) पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, डाक सहित यात्रियों और माल के अंतरराष्ट्रीय यातायात को, पृथक रूप से अथवा संयुक्त रूप से, आरोहित और अवरोहित करने के अधिकार का भी उपभोग करेगी।

3. इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ (3) और (4) के प्रावधानों के अध्यधीन, अनुच्छेद 4 के अधीन नामित एयरलाइनों से भिन्न, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन(नें) भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारों का उपभोग करेंगी।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में की कोई बात यह नहीं समझी जाएगी कि वह एक संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के किसी अन्य बिंदु के लिए गंतव्य डाक सहित यात्रियों और माल को बोर्ड पर लेने का विशेषाधिकार प्रदान करती है।

अनुच्छेद 3
एयरलाइनों का नामनिर्देशन और प्राधिकरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को सहमत सेवाओं को विनिर्दिष्ट मार्गों पर संचालित करने के प्रयोजन के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में दो एयरलाइनों तक नामनिर्देशित करने तथा ऐसे नामनिर्देशन को वापस लेने या परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

2. ऐसा नामनिर्देशन प्राप्त होने पर, दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) और (4) के प्रावधानों के अध्यधीन, बिना विलंब नामनिर्देशित एयरलाइन(एयरलाइनों) को समुचित परिचालन प्राधिकार प्रदान करेगा।

3. एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामनिर्देशित एयरलाइन से यह समाधान कराने की अपेक्षा कर सकते हैं कि वह अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं के परिचालन पर सामान्यतः लागू विधियों और विनियमों के तहत विहित शर्तों को पूरा करने के लिए अर्ह है।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट परिचालन प्राधिकार (प्राधिकारों) को प्रदान करने से इनकार करने का, अथवा अनुच्छेद 2(2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के किसी नामनिर्देशित एयरलाइन द्वारा प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे, किसी भी ऐसे मामले में जहां उक्त संविदाकारी पक्ष का यह समाधान न हो कि उस एयरलाइन का सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामनिर्देशित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा उसके

नागरिकों में निहित है। इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, "सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण" पद की अभिव्यक्ति का तात्पर्य यह है कि किसी भी ऐसे मामले में जहां नामनिर्देशित एयरलाइन, वित्तीय पट्टा करारों को छोड़कर, किसी अन्य देश की एयरलाइन अथवा किसी अन्य देश की सरकार या नागरिकों के साथ कोई करार करके सहमत सेवाओं का परिचालन करती है, वहां एयरलाइन को नामनिर्देशित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा उसके नागरिकों को नामनिर्देशित एयरलाइन का सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण रखने वाला तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि उक्त संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिक, नामनिर्देशित एयरलाइन की अधिकांश परिसंपत्तियों के स्वामित्व के अतिरिक्त:-

i) नामनिर्देशित एयरलाइन के प्रबंधन में प्रभावी नियंत्रण; और

ii) नामनिर्देशित एयरलाइन के विमान बेड़े और उपकारणों के अधिकांश भाग का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भी न रखते हों।

5. जब किसी एयरलाइन को नामनिर्देशित और प्राधिकृत कर दिया गया हो, तब वह सहमत सेवाओं का परिचालन तभी प्रारंभ कर सकेगी जब वह एयरलाइन इस करार के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती हो।

अनुच्छेद 4
परिचालन प्राधिकरणों का प्रतिसंहरण या निलंबन

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामनिर्देशित एयरलाइन को प्रदत्त परिचालन प्राधिकरण को प्रतिसंहृत या निलंबित करने का, अथवा अनुच्छेद 2(2) में विनिर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें अधिरोपित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है जो वह आवश्यक समझे:-

क) किसी भी ऐसे मामले में जहां उसका यह समाधान न हो कि उस एयरलाइन का सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण एयरलाइन को नामनिर्देशित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा ऐसे संविदाकारी पक्ष के नागरिकों में निहित है; अथवा

ख) उस एयरलाइन द्वारा प्राधिकरण प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष द्वारा सामान्यतः लागू विधियों और/अथवा विनियमों का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में; अथवा

ग) यदि एयरलाइन अन्यथा इस करार के तहत विहित शर्तों के अनुसार परिचालन करने में असफल रहती है।

2. जब तक इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित शर्तों के अधिरोपण अथवा परिचालन प्राधिकरण के तत्काल प्रतिसंहरण या निलंबन का इस करार के प्रावधानों की विधियों और/अथवा विनियमों के आगे के उल्लंघन को रोकने के लिए अनिवार्य होना आवश्यक न हो, ऐसा अधिकार, इस करार के अनुच्छेद 15 के अनुसार दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकारियों के साथ परामर्श के पश्चात ही प्रयोग किया जाएगा।

अनुच्छेद 5
उपयोगकर्ता प्रभार

1. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) पर ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार अधिरोपित नहीं करेगा अथवा अधिरोपित किए जाने की अनुमति नहीं देगा जो समान अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं का परिचालन करने वाली उसकी अपनी एयरलाइनों पर अधिरोपित प्रभारों से अधिक हों।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम प्रभारकर्ता प्राधिकरणों और उन प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करने वाली एयरलाइनों के बीच, जहां व्यवहार्य हो, उन एयरलाइनों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से, उपयोगकर्ता प्रभारों पर परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। उपयोगकर्ता प्रभारों में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव की युक्तियुक्त सूचना ऐसे उपयोगकर्ताओं को, परिवर्तन किए जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने में समर्थ बनाने के लिए दी जा सकेगी।

अनुच्छेद 6
सीमा शुल्क और प्रक्रियाएं

1. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर परिचालित विमान, साथ ही उनके नियमित उपस्कर, ईंधन और स्नेहकों की आपूर्ति और विमान में पहले से मौजूद रसद, जो ऐसे विमान में लाए गए हों या उस पर या उसमें उपयोग के लिए ही आशयित हों, को, समस्त सीमा शुल्क, निरीक्षण फीस और अन्य समान प्रभारों के संबंध में, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, ऐसा व्यवहार प्रदान किया जाएगा जो अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं का परिचालन करने वाली अपनी स्वयं की एयरलाइन(ओं) को अथवा अधिकतम अनुकूलतम राष्ट्र की एयरलाइनों को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रदत्त व्यवहार से कम अनुकूल न हो।

2. वही व्यवहार, किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) द्वारा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले विमान के अनुरक्षण या मरम्मत के लिए लाए गए कल-पुर्जों को प्रदान किया जाएगा।

3. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) को सीमा शुल्क, निरीक्षण फीस या समान प्रभारों की छूट या परिहार प्रदान करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक ऐसा अन्य संविदाकारी पक्ष प्रथम संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) को ऐसे प्रभारों की छूट या परिहार प्रदान न करे।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान में रखे गए नियमित एयरबोर्न उपस्कर के साथ-साथ सामग्री और आपूर्ति को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में केवल उस राज्यक्षेत्र के सीमा शुल्क प्राधिकरणों के अनुमोदन से ही उतारा जा सकेगा।

5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) और (4) में निर्दिष्ट सामग्री को सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अधीन रखे जाने की अपेक्षा की जा सकेगी।

अनुच्छेद 7
प्रतिनिधित्व

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन को, पारस्परिकता के आधार पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में, सहमत सेवाओं के परिचालन के संबंध में आवश्यकतानुसार, अपने प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक, परिचालनिक और तकनीकी स्टाफ को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।

2. ये स्टाफ अपेक्षाएं, नामनिर्देशित एयरलाइन के विकल्प पर, उसके स्वयं के कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में परिचालनरत तथा उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य संगठन, कंपनी या एयरलाइन की सेवाओं का उपयोग करके पूरी की जा सकेंगी।

3. प्रतिनिधि और स्टाफ दूसरे संविदाकारी पक्ष की लागू विधियों और विनियमों के अधीन होंगे, तथा ऐसी विधियों और विनियमों के अनुरूप, ऐसा संविदाकारी पक्ष, पारस्परिकता के आधार पर और न्यूनतम विलंब के साथ, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट प्रतिनिधियों और स्टाफ को आवश्यक कार्य परमिट, नियोजन वीजा या अन्य समान दस्तावेज प्रदान करेगा।

4. पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) को अपने राज्यक्षेत्र में सीधे तथा, अपने विवेकाधिकार पर, अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से हवाई परिवहन की बिक्री में संलग्न होने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामनिर्देशित एयरलाइन को बेचने का अधिकार होगा तथा कोई भी व्यक्ति स्थानीय मुद्रा में अथवा किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय अन्य मुद्रा में ऐसा परिवहन क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद 8
विधियों की प्रयोज्यता

1. अंतरराष्ट्रीय हवाई दिक्चालन में संलग्न विमान के अपने राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान को, अथवा अपने राज्यक्षेत्र के भीतर रहते हुए ऐसे विमान के परिचालन और दिक्चालन को शासित करने वाली एक संविदाकारी पक्ष की विधियां और विनियम, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन के विमान पर लागू होंगे।

2. पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा और स्वास्थ्य तथा संगरोध से संबंधित विधियों जैसे यात्रियों, चालक दल और डाक सहित माल के अपने राज्यक्षेत्र में प्रवेश, उसमें ठहराव तथा उससे प्रस्थान को शासित करने वाली एक संविदाकारी पक्ष की विधियां और विनियम, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन के विमान द्वारा ले जाए गए यात्रियों, चालक दल, माल और डाक पर, जब तक वे उक्त राज्यक्षेत्र के भीतर हों, लागू होंगे।

3. कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने सीमा शुल्क, आप्रवासन, संगरोध तथा समान विनियमों के प्रयोग में, समान अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संलग्न दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन की तुलना में अपनी स्वयं की या किसी अन्य एयरलाइन को वरीयता प्रदान नहीं करेगा।

4. किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से सीधे पारगमन में यात्रियों को अत्यंत सरलीकृत नियंत्रण से अधिक के अधीन नहीं किया जाएगा। सीधे पारगमन में सामान और माल को सीमा शुल्क और अन्य समान करों से छूट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 9
सहमत सेवाओं के परिचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों संविदाकारी पक्षों की नामनिर्देशित एयरलाइनों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का परिचालन करने का उचित और समान अवसर होगा।

2. सहमत सेवाओं का परिचालन करते समय, ऐसे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(एयरलाइनें) दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) के हितों को इस प्रकार ध्यान में रखेंगी ताकि उसी मार्ग(मार्गों) के पूर्ण या आंशिक भाग पर उत्तरवर्ती द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को अनुचित रूप से प्रभावित न किया जाए।

3. सहमत सेवाओं पर नामनिर्देशित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता का, संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाली जनता की अनुमानित हवाई परिवहन अपेक्षाओं से घनिष्ठ संबंध होगा।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में निहित सिद्धांतों के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइनों द्वारा परिचालित की जाने वाली क्षमता और सेवाओं की आवृत्ति, संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरणों के बीच सहमत की जाएगी।

5. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइनों द्वारा परिचालित की जाने वाली सेवाओं की क्षमता और/अथवा आवृत्ति में कोई भी वृद्धि मुख्यतः संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यातायात की बढ़ी हुई अपेक्षाओं पर आधारित होगी तथा दोनों वैमानिकी प्राधिकरणों के बीच करार के अध्यधीन होगी। ऐसे करार या व्यवस्थापन के लंबित रहने तक, पहले से प्रवृत्त क्षमता और आवृत्ति हकदारियां प्रबल रहेंगी।

अनुच्छेद 10
परिचालन सूचना का उपबंध

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण, सहमत सेवाओं के उद्‌घाटन से कम से कम साठ दिन पूर्व, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) से उनके विचारार्थ और अनुमोदनार्थ, सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, उपयोग किए जाने वाले विमान के प्रकार तथा उड़ान अनुसूचियों से संबंधित सूचना दाखिल करने की अपेक्षा कर सकते हैं। सहमत सेवाओं के परिचालन के संबंध में जब भी कोई परिवर्तन प्रस्तुत किया जाना हो, समान सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2. नामनिर्देशित एयरलाइन(एयरलाइनें) दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को यह समाधान कराने के लिए भी कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराएगी जो इस करार की अपेक्षाओं का सम्यक रूप से पालन किया जा रहा है इस हेतु अपेक्षित हो।

अनुच्छेद 11
सांख्यिकी का उपबंध

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से और उसके लिए सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान ले जाए गए यातायात से संबंधित, ऐसे यातायात के आरोहण और अवरोहण के बिंदुओं को दर्शाने वाली सांख्यिकी, दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) से उपलब्ध कराएंगे। ऐसी सांख्यिकी प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र, परंतु उससे संबंधित माह के पश्चात 30 दिनों के बाद नहीं, उपलब्ध कराई जाएगी।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से और उसके लिए ले जाए गए यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित, अनुरोध में विनिर्दिष्ट, एक आईएटीए यातायात मौसम से अनधिक अवधि के लिए सांख्यिकी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को उपलब्ध कराएंगे अथवा अपनी नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) से उपलब्ध कराएंगे।

अनुच्छेद 12
टैरिफ

1. निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए, "टैरिफ" पद का तात्पर्य यात्रियों और माल के वहन के लिए संदेय मूल्यों तथा उन शर्तों से है जिनके अधीन ये मूल्य लागू होते हैं, जिसमें अभिकरण और अन्य सहायक सेवाओं के लिए मूल्य और शर्तें शामिल हैं, परंतु डाक के वहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तों को छोड़कर।

2. एक संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से या उसके लिए वहन के लिए प्रभारित किए जाने वाले टैरिफ, परिचालन की लागत, युक्तियुक्त लाभ तथा अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित समस्त सुसंगत कारकों को समुचित ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त स्तरों पर स्थापित किए जाएंगे।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट टैरिफ, यदि संभव हो, दोनों संविदाकारी पक्षों की नामनिर्देशित एयरलाइनों के बीच सहमत किए जाएंगे तथा ऐसा करार, जब भी संभव हो, अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का उपयोग करके संपन्न किया जाएगा।

4. इस प्रकार सहमत टैरिफ, उनके प्रवर्तन की प्रस्तावित तारीख से कम से कम नब्बे (90) दिन पूर्व, दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरणों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। विशेष मामलों में, यह अवधि उक्त प्राधिकरणों के करार के अध्यधीन कम की जा सकेगी।

5. अनुमोदन अभिव्यक्त रूप से दिया जा सकेगा। यदि वैमानिकी प्राधिकारियों में से किसी ने भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार प्रस्तुतीकरण की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर अननुमोदन व्यक्त नहीं किया है, तो उन प्रशुल्कों को अनुमोदित समझा जाएगा। पैराग्राफ (4) में उपबंधित रूप में प्रस्तुतीकरण की अवधि कम किए जाने की स्थिति में, वैमानिकी प्राधिकरण यह सहमत हो सकते हैं कि जिस अवधि के भीतर कोई अनुमोदन सूचित किया जाना अपेक्षित है वह तीस (30) दिनों से कम होगी।

6. यदि कोई टैरिफ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अनुसार सहमत नहीं किया जा सकता है, अथवा यदि, पैराग्राफ (5) के अनुसार लागू अवधि के दौरान, एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण

दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को पैराग्राफ (3) के प्रावधान के अनुसार सहमत किसी टैरिफ के अननुमोदन की सूचना देते हैं, तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरण पारस्परिक करार द्वारा टैरिफ स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

7. यदि वैमानिकी प्राधिकरण इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अधीन उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर, अथवा पैराग्राफ (6) के अधीन किसी टैरिफ की स्थापना पर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो विवाद का निपटारा इस करार के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

8. इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार स्थापित टैरिफ तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कोई नया टैरिफ स्थापित नहीं हो जाता। तथापि, कोई भी टैरिफ इस पैराग्राफ के आधार पर उस तारीख के पश्चात, जिस तारीख को वह अन्यथा समाप्त हो गया होता, बारह (12) माह से अधिक अवधि के लिए विस्तारित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 13
अर्जनों का अंतरण

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) को प्रथम संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में अर्जित व्यय पर प्राप्तियों के आधिक्य को अपने प्रधान कार्यालय को प्रेषित करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे प्रेषण, राजस्व जिस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में उपचित हुआ हो उसके विदेशी विनिमय विनियमों के अनुसार, किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किए जाएंगे।

2. ऐसे अंतरण, मुद्रा भुगतान के लिए शासकीय विनिमय दर के आधार पर प्रभावी किए जाएंगे, अथवा जहां कोई शासकीय विनिमय दर न हो, वहां मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी विनिमय बाजार दरों पर प्रभावी किए जाएंगे।

3. यदि भुगतानों के व्यवस्थापन को शासित करने वाली विशेष व्यवस्थाएं दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच प्रवृत्त हों, तो ऐसी व्यवस्थाओं के प्रावधान इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अधीन निधियों के अंतरण पर लागू किए जाएंगे।

अनुच्छेद 14
विमानन सुरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन अपने अधिकारों और बाध्यताओं के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष यह पुनःपुष्ट करते हैं कि विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा की रक्षा करने की एक-दूसरे के प्रति उनकी बाध्यता इस करार का अभिन्न भाग है। अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन अपने अधिकारों और बाध्यताओं की व्यापकता को सीमित किए बिना, संविदाकारी पक्ष, विशेष रूप से, विमान पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों संबंधी अभिसमय, जिस पर 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षर किए गए थे, विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के दमन के लिए अभिसमय, जिस पर 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षर किए गए थे, तथा नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों के दमन के लिए अभिसमय, जिस पर 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षर किए गए थे, और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन की सेवा करने वाले विमानपत्तनों पर हिंसा के विधिविरुद्ध कृत्यों के दमन के लिए

प्रोटोकॉल, जिस पर 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षर किए गए थे, के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. संविदाकारी पक्ष नागरिक विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के कृत्यों तथा ऐसे विमान, उनके यात्रियों और चालक दल, विमानपत्तनों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों को रोकने के लिए, तथा नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे के लिए, अनुरोध पर एक-दूसरे को समस्त आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. पक्षकार, अपने पारस्परिक संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित तथा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप, उस सीमा तक कार्य करेंगे जिस तक ऐसे सुरक्षा प्रावधान पक्षकारों पर लागू हों। वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनकी पंजीयन के विमानों के परिचालक अथवा जिन परिचालकों का अपना प्रधान कारबार स्थान या स्थायी निवास उनके राज्यक्षेत्र में है वे विमान के परिचालक तथा उनके राज्यक्षेत्र में विमानपत्तनों के परिचालक ऐसे विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष सहमत है कि विमान के ऐसे परिचालकों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे उपर्युक्त पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट विमानन सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करें जिनकी अपेक्षा उस अन्य संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश, उससे प्रस्थान, अथवा उसके भीतर रहते हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा की जाती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि विमान की सुरक्षा के लिए तथा बोर्डिंग या लोडिंग से पूर्व और उसके दौरान यात्रियों, चालक दल, कैरी-ऑन वस्तुओं, सामान, माल और विमान रसद के निरीक्षण के लिए उसके राज्यक्षेत्र के भीतर पर्याप्त उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाते हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त विशेष सुरक्षा उपायों हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी भी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्ण विचार भी करेगा।

5. जब नागरिक विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण अथवा ऐसे विमान, उनके यात्रियों और चालक दल, विमानपत्तनों या हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों की किसी घटना या घटना के खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संविदाकारी पक्ष संचार को सुगम बनाकर तथा ऐसी घटना या उसके खतरे को शीघ्रता और सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए आशयित अन्य समुचित उपायों द्वारा एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, जहां तक व्यवहार्य पाए, ऐसे उपाय करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विधिविरुद्ध अधिग्रहण या विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के अन्य कृत्यों के अधीन जो विमान उसके राज्यक्षेत्र में उतर गया हो, उसे भूमि पर तब तक निरुद्ध रखा जाए जब तक कि उसका प्रस्थान मानव जीवन की सुरक्षा हेतु सर्वोपरि कर्तव्य द्वारा आवश्यक न हो जाए। जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे उपाय पारस्परिक परामर्शों के आधार पर किए जाएंगे।

अनुच्छेद 15
परामर्श और संशोधन

1. कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय इस करार के कार्यान्वयन, निर्वचन, प्रयोग या संशोधन पर परामर्श के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श, जो वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच हो सकता है तथा जो विचार-विमर्शों द्वारा या पत्राचार के माध्यम से हो सकता है, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त करने की तारीख के साठ (60) दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभ होगा।

2. अनुरक्षण के परिणामस्वरूप सहमत इस करार में कोई भी उपांतरण, राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्ट किए जाने पर प्रवृत्त होगा।

3. अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों में उपांतरण, तथापि, संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकारियों के बीच सीधे करार द्वारा किए जा सकेंगे तथा उनके द्वारा अवधारित तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुच्छेद 16
विवादों का निपटारा

यदि इस करार के निर्वचन या प्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरण उसे अपने बीच वार्ताओं द्वारा निपटाने का प्रयास करेंगे, जिसमें असफल होने पर विवाद निपटारे के लिए संविदाकारी पक्षों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुच्छेद 17
बहुपक्षीय हवाई अभिसमयों की प्रयोज्यता

1. इस करार के अधीन स्थापित हवाई सेवाओं पर लागू होने की सीमा तक, अभिसमय के उपबंध, संविदाकारी पक्षों के बीच इस करार की अवधि के लिए अपने वर्तमान स्वरूप में प्रवृत्त रहेंगे, मानो वे करार का अभिन्न भाग हों, जब तक दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किसी संशोधन का, जो सम्यक रूप से प्रवृत्त हो गया हो, अनुसमर्थन नहीं करते, जिस स्थिति में इस प्रकार संशोधित अभिसमय इस करार की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

2. यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय हवाई अभिसमय प्रवृत्त होता है, तो ऐसे अभिसमय के प्रावधान अभिभावी होंगे।

अनुच्छेद 18
निलंबन

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस करार को निलंबित करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को समवर्ती रूप से संसूचित की जाएगी। यदि ऐसी सूचना दी जाती है, तो यह करार, अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख के बारह माह पश्चात, जब तक इस अवधि की समाप्ति से पूर्व करार द्वारा समाप्ति की सूचना वापस नहीं ली जाती, समाप्त हो जाएगा। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति के अभाव में, सूचना को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त होने के चौदह दिनों पश्चात प्राप्त हुई समझा जाएगा।

अनुच्छेद 19

प्रवृत्त होना

यह करार हस्ताक्षर की तारीख को प्रवृत्त होगा।

इसकी साक्षी में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत होकर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

फ्नोम पेन्ह में इस 9वें दिन अप्रैल, वर्ष दो हजार दो में, हिंदी, अंग्रेजी और खमेर भाषाओं में प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में संपन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से आधिकारिक हैं। निर्वचन में किसी भी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(अरुण शौरी)
विनिवेश मंत्री

कंबोडिया के शाही सरकार की ओर से

(सोक एएन)
प्रभारी वरिष्ठ मंत्री
मंत्री, मंत्रिपरिषद

अनुलग्नक

(मार्ग अनुसूची)

खंड I

भारत गणराज्य की सरकार द्वारा नामनिर्देशित एयरलाइन(एं) निम्नलिखित मार्गों पर दोनों दिशाओं में सहमत सेवाओं का परिचालन करने की हकदार होंगी:-

उद्गम प्वाइंट	मध्यवर्ती प्वाइंट	गंतव्य प्वाइंट	आगे के प्वाइंट
भारत में प्वाइंट	सहमति होनी है	सहमति होनी है	सहमति होनी है

खंड II

कंबोडिया के शाही सरकार द्वारा नामनिर्देशित एयरलाइन(एं) निम्नलिखित मार्गों पर दोनों दिशाओं में सहमत सेवाओं का परिचालन करने की हकदार होंगी:

उद्गम प्वाइंट	मध्यवर्ती प्वाइंट	गंतव्य प्वाइंट	आगे के प्वाइंट

कंबोडिया में प्वाइंट	सहमति होनी है	सहमति होनी है	सहमति होनी है

टिप्पणियां:

1. किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(एं) किसी भी या सभी उड़ानों पर किसी भी मध्यवर्ती प्वाइंट या आगे के प्वाइंट पर ठहराव करने से इस शर्त पर मुक्त रह सकती हैं कि सहमत सेवाएं इन मार्गों पर एयरलाइन को नामनिर्देशित करने वाले संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में किसी प्वाइंट पर प्रारंभ/समाप्त होती हैं।

2. अविनिर्दिष्ट मध्यवर्ती और/अथवा आगे के प्वाइंटों की सेवा किसी भी संविदाकारी पक्ष की नामनिर्देशित एयरलाइन(ओं) द्वारा पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकारों का प्रयोग किए बिना की जा सकेगी।

3. मध्यवर्ती प्वाइंटों या आगे के प्वाइंटों और दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के बीच कोई भी पंचम स्वतंत्रता यातायात अधिकार तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रभाव के लिए दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच करार न किया जाए।